उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

रम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

बिरसी उराँईन वगै0
बनाम
मेसर्स मिनरल्स एंड मिनरल्स ली0 वगै0

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :–20/2014–15

वाद का प्रकार :– अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. बिरसी उराँईन पति–स्व0 एतवा उराँव
2 मंगलेश्वर उराँव
3. चंदर उराँव पिता–स्व0 सोमा उराँव
सभी ग्राम– कोरले थाना– घाघरा जिला–गुमला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 49 के अंतर्गत् अपने स्वामित्व के निम्नांकित भूमि **मेसर्स मिनरल्स एवं मिनरल्स लि0** कोर्ट रोड लोहरदगा जिला– लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षों की लीज में देने के लिये अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किया गया हैं :–

क्रं0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (ए0 में)
1.	कोरले	27	14	03	7.62
				05	4.46
			15	02	0.68
	कुल			03	12.76

इस संदर्भ में अंचल अधिकारी घाघरा से स्थलीय जॉच कर तीन बिन्दुओ पर प्रतिवेदन की मॉग की गई, जो निम्नवत है:–

1 अंचल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बॉक्साईड खनन क्षेत्र के अगल बगल के रैयत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित होगें।

2 खनन हेतु प्रस्तावित भूमि के चौहदीदारों का कोई लिखित आपत्ति प्राप्त नही है, परन्तु उनका NOC भी प्राप्त नही है।

3 कम्पनी के द्वारा जहॉ खनन का कार्य किया जाएगा वहा कम्पनी के द्वारा किसी प्रकार का सामुदायिक हित में Noble Work करने का कोई प्रस्ताव अंचल कार्यालय को प्राप्त नही है।

अंचल अधिकारी घाघरा के द्वारा स्पष्ट मंतव्य दिया गया है कि प्रस्तावित भूमि टॉड एवं परती है। यदि कम्पनी द्वारा चौहदीदारों से NOC प्राप्त कर लिया जाता है तथा सामुदायिक हित में Noble Work करने हेतु कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो लीज अनुमति दी जा सकती है।

अतः अंचल अधिकारी घाघरा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम्पनी के द्वारा रैयतो के सामुदायिक हित में कोई भी Noble Work नही किया गया है और न ही उनके द्वारा इस संबंध में कोई पूरक तथ्य समर्पित किया गया है उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमति वाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

22.04.22
उपायुक्त,
गुमला

22.04.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.04.28 16:50:07 +05:30
Location: 192.168.1.49